राजस्व प्रकरण कमांक/202501103300031/अ–62/2024–25

1	2
04/06/15	प्रकरण नायब तहसीलदार (अंजोरा सर्किल) दुर्ग से प्राप्त होने पर आदेश हेतु पेश ।

प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक श्री दिलीप निषाद पिता हिन्साराम निषाद निवासी– ग्राम महमरा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ0ग0) द्वारा ग्राम महमरा, प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. अंजोरा (ख) तह. व जिला दुर्ग में स्थित आवेदक के मकान से लगा हुआ इमली का पेड़ है, जिसके कारण आवेदक के घर वालों को जान माल का खतरा तथा कभी भी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना होने के कारण उक्त वृक्ष की कटाई की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने से नायब तहसीलदार (अंजोरा सर्किल) दुर्ग द्वारा जांच का जांच प्रतिवेदन सहित प्रकरण प्रेषित किया गया है।

प्रकरण में नायब तहसीलदार (अंजोरा सर्किल) दुर्ग द्वारा वनमंडलाधिकारी दुर्ग वनमंडल दुर्ग के पत्र कमांक/तक.अधि./मा.म./2025/2276 दुर्ग, दिनांक 22/05/2025 के प्रतिवेदन तथा राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 23.04.2025 अनुसार ग्राम महमरा, प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. अंजोरा (ख) तह. व जिला दुर्ग में आवेदक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आबादी भूमि में मकान निर्माण किया गया है। मकान से लगे आंगन में इमली का पेड़ है, जिसकी मोटाई लगभग 10 फीट एवं उंचाई लगभग 40 फीट है, जो कि 60–70 वर्ष पुराना है। आंधी तुफान से गिर जाने के भय, जान–माल का खतरा होने के कारण आवेदक द्वारा उक्त वृक्ष को नियमानुसार कटाई किया जाना, प्रतिवेदित किया है।

राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन का सूक्ष्मता से अवलोकन व परीक्षण किया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम महमरा, प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. अंजोरा (ख) तह. व जिला दुर्ग में आवेदक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आबादी भूमि में मकान निर्माण किया गया है। मकान से लगे आंगन में 01 नग इमली वृक्ष स्थित है, को जनहित में काटा जाना उचित प्रतीत होता है। छ.ग.भू.रा.सं 1959 की धारा 240/241 में दिये गये प्रावधानों के तहत् तथा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की अधीसूचना दिनांक 11.02.2022 वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के तहत् वृक्ष कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा प्रदाय़ किया जाना है। अतएव नायब तहसीलदार (अंजोरा सर्किल) दुर्ग के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये उपरोक्त आधार पर तथा वृक्ष कटाई के नियम, 2022 में निर्मित नियम 03(छ:) व 07 (2,3,4,5) व 08 (1,2) के तहत् **आवेदक श्री दिलीप निषाद पिता हिन्साराम निषाद निवासी– ग्राम महमरा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ0ग0)** को ग्राम महमरा, प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. अंजोरा (ख) तह. व जिला दुर्ग में आवेदक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आबादी भूमि में मकान निर्माण किया गया है। मकान से लगे आंगन में 01 नग इमली वृक्ष स्थित है, को काटे जाने वाले वृक्ष के एवज में 10 गुणा वृक्षारोपण किये जाने शर्त पर उक्त 01 नग नीम वृक्ष को काटने की अनुमति विहित प्ररूप ङ में जारी किया जावे व सर्वसंबंधितों को आदेश की प्रति भेजी जावे। तत्पश्चात् मूल प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा0द0 किये जाने हेतु संबंधित नायब तहसीलदार (अंजोरा सर्किल) दुर्ग को वापस प्रेषित किया जावे।

नायब तहसीलदार
(अंजोरा सर्किल) दुर्ग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दुर्ग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दुर्ग (छ.ग.)

।। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला–दुर्ग ।।

प्ररूप–ङ

(नियम 7 (2) देखिये)

अनुमति

क्रमांक / 1303 / प्र.02 / अ.वि.अ. / 2025 दुर्ग, दिनांक 05 / 06 / 2025

प्रति,

श्री दिलीप निषाद पिता हिन्साराम निषाद
निवासी– ग्राम महमरा, तहसील व जिला–दुर्ग
मौजा– ग्राम महमरा, प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. अंजोरा (ख)
तहसील व जिला–दुर्ग (छ0ग0)

विशय :– वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

संदर्भ :– नायब तहसीलदार (अंजोरा सर्किल) दुर्ग का रा.प्र.क्रं. 202501103300031 / अ–62 / 2024–25

.....00.....

विषयांतर्गत आपके द्वारा वृक्ष कटाई की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। नायब तहसीलदार (अंजोरा सर्किल) दुर्ग द्वारा प्रकरण दर्ज कर विधिवत जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। राजस्व निरीक्षक तथा वन विभाग के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार (अंजोरा सर्किल) दुर्ग का प्रतिवेदन दिनांक 23.04.2025 को प्राप्त किया गया ।

आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का नायब तहसीलदार (अंजोरा सर्किल) दुर्ग द्वारा सत्यापन किया गया। जिसके अनुसार स्थल पर आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है– ग्राम महमरा, प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. अंजोरा (ख) तह. व जिला दुर्ग में आवेदक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आबादी भूमि में मकान निर्माण किया गया है। मकान से लगे आंगन में इमली का पेड़ है, जिसकी मोटाई लगभग 10 फीट एवं उंचाई लगभग 40 फीट है, जो कि 60–70 वर्ष पुराना है। आंधी तुफान से गिर जाने के भय, जान–माल का खतरा होने के कारण आवेदक द्वारा उक्त वृक्ष को नियमानुसार कटाई किया जाना, प्रतिवेदित किया है।

नायब तहसीलदार (अंजोरा सर्किल) दुर्ग का प्रतिवेदन दिनांक 25.04.2025 तथा राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी दुर्ग द्वारा प्रस्तुत संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन 23.04.2025 का सूक्ष्मता से अवलोकन व परीक्षण किया, जिससे स्पष्ट है कि ग्राम महमरा, प.ह.नं. 23, रा.नि.मं. अंजोरा (ख) तह. व जिला दुर्ग में आवेदक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आबादी भूमि में मकान निर्माण किया गया है। मकान से लगे आंगन में 01 नग इमली वृक्ष स्थित है, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः नायब तहसीलदार (अंजोरा सर्किल) दुर्ग एवं वन मण्डलाधिकारी, दुर्ग वन मण्डल, दुर्ग के प्रतिवेदन दिनांक 22.05.2025 से सहमत होते हुये काटे जाने वृक्ष के एवज में 10 गुना वृक्षारोपण किये जाने की शर्त पर वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नही किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दुर्ग